

Condensed Course

English

Class Level : 3 - 7

Free Distribution in all Government Schools



**State Institute of Educational Research and Training (SIERT)
Udaipur, Rajasthan**

प्रथम संस्करण

पेपर उपयोग :

प्रकाशक :

मुद्रक :

मूल्य :

मुद्रण संख्या :

सर्वाधिकार सुरक्षित

**पाद्यपुस्तक निर्माण
वित्तीय सहयोग:
यूनिसेफ राजस्थान, जयपुर**

आमुख

राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। उक्त अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को प्रांरभिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है तथा शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को कक्षा के अनुरूप सीखने के समान स्तर पर लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु इन संघनित पाठ्यपुस्तकों को तैयार किया गया है। इन पुस्तकों को तैयार करते समय पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम तथा दक्षताओं का ध्यान रखा गया।

5 से 6 साल की उम्र होने पर बच्चे औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना आरम्भ करते हैं। वर्षों से स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम आयु और कक्षाओं की निश्चित संगति के अनुसार बनाए जाते रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में हमारे स्कूलों में ऐसे बच्चे प्रवेश लेंगे जो स्कूली शिक्षा प्रारम्भ करने की सामान्य आयु से 2 से 7 वर्ष तक बड़ी आयु के हो सकते हैं। इन बच्चों को आयु के अनुसार सीधे ही आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित किया जाएगा। इन बालकों का भाषाई कौशल व व्यावहारिक ज्ञान, आरंभिक कक्षाओं के सामान्य बच्चों से उच्चतर होता है। इसी धारणा को ध्यान रखते हुए इन बच्चों के लिए विभिन्न विषयों की पाठ्यसामग्री तैयार की गई। अपेक्षा यह है कि बच्चे एक पुस्तक में सम्मिलित अवधारणाओं—कौशलों को अपनी आयु एवं स्तर के अनुसार 3 से 6 माह की अवधि में अर्जित कर सकेंगे। इससे उनकी सीखने की गति भी बढ़ेगी।

प्रस्तुत पुस्तक को सर्वांग परिपूर्ण बनाने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.आर.टी.), उदयपुर इस पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल जयपुर, लेखकों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों के संपादकों प्रकाशकों तथा विभिन्न वेबसाइट्स के प्रति आभार व्यक्त करता है। हमारे पर्याप्त प्रयासों के बावजूद किसी लेखक, प्रकाशक, संस्थान आदि का नाम छूट गया हो तो हम उनके भी आभारी हैं।

पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता की अभिवृद्धि के लिए श्री नरेशपाल गंगवार, शासन सचिव



स्कूल शिक्षा, डॉ जोगाराम, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् जयपुर, निदेशक प्रारंभिक एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार का मार्गदर्शन संस्थान को सतत प्राप्त होता रहा है। एतदर्थ संस्थान आभार व्यक्त करता है।

इस पाठ्यपुस्तक का निर्माण यूनिसेफ के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से हुआ है जिसके लिए संस्थान आभारी है।

मुझे आशा है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा तैयार कराई पाठ्यसामग्री शिक्षा से वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं में कक्षानुसार दक्षता विकसित करने में तथा उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने में उपयोगी सिद्ध होगी।

निदेशक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर



List of Contributors

- Patron** : Rukmani Riar, Director, SIERT, Udaipur
- Co-patron** : Subhash Sharma, HOD, Curriculum & Evaluation Department
- Chief coordinator** : Vanita Vagrecha, Lecturer, SIERT, Udaipur
- Coordinator** : Neelima Sharma, Sr. Lecturer, SIERT, Udaipur
- Writers** : Ramakant Sharma, Principal, GSSS, Maharoli, Sikar
Manoj Dadhich, Sr. Teacher, GSS, Kaliwas, Udaipur
Damodar Lal Kabra, Retd. Principal, Chittorgarh
Ashutosh Tuli, Principal, GSSS, Jagat, Udaipur
Dushyant Kumar Nagda, Principal, GSSS, Khakhad, Jhadol
Tarun Kumar Mittal, Sr. Teacher, Sec. School, Dusaran, Baran
- Illustrator** : Rajendra Veragi, Lecturer, Govt. Mahatma Gandhi S.S.S., Rampura, Kota
- Layout & Design** : Dr. Jagdish Kumawat, Lecturer, SIERT, Udaipur
Rajaram Vyas, Lecturer (Retd.), SIERT, Udaipur
- Technical Support** : Hemant Ameta, Lecturer, SIERT, Udaipur
- Graphic Designing** : Seema Printers & Stationers, Udaipur

शिक्षकों से...

सामान्यतया बालक—बालिकाएँ 5–6 वर्ष की उम्र होने पर विद्यालय में प्रवेश लेकर शिक्षा प्रारम्भ करते हैं। वे पढ़ते व सीखते हुए वर्ष पर्यन्त पाठ्यक्रम को पूरा कर के आगे की कक्षाओं में बढ़ते रहते हैं।

औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित आयु व निश्चित कक्षानुसार बनाया जाता है। परन्तु अब शिक्षा अधिकार अधिनियम के नूतन संदर्भ में हमारे स्कूलों में ऐसे विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं जो या तो स्कूली शिक्षा प्रारंभ करने की सामान्य आयु से बड़े हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़कर पुनः प्रवेश ले रहे हैं। इन विद्यार्थियों की उनकी आयु के अनुसार सीधे ही बड़ी कक्षाओं में नामांकित किया जा रहा है। अतः इन विद्यार्थियों के सीखने—सिखाने एवं यथाशीघ्र उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर पर लाने हेतु विशेष शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

बड़ी आयु के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता भाषाई कौशल, व्यवहारिक ज्ञान प्रारम्भिक कक्षाओं के सामान्य बालकों के स्तर से उच्च स्तर का है। अतः पढ़ना—लिखना सिखाने व पठन—लेखन की दक्षताओं के माध्यम से विषयों के अध्ययन हेतु कौशल अर्जित करने के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम पर कार्य करना आवश्यक है। जिससे उच्चतर भाषाई दक्षता परिवेशीय अनुभव के आधार को ध्यान में रखते हुए इन विद्यार्थियों के लिये पाठ्यसामग्री का निर्माण किया गया है।

विशेष पाठ्यसामग्री का निर्माण एन.सी.एफ. 2005 में निहित राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम के आधार पर किया गया।

अतः अपेक्षा है कि विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों में समाहित अवधारणाओं एवं भाषाई कौशलों को अपनी आयु एवं स्तर के अनुसार 3 से 6 माह की अवधि में प्राप्त कर सकेंगे।

संघनित पाठ्यपुस्तकों का विभाजन कक्षा 1 व 2 के स्तर हेतु एक पुस्तक, कक्षा 3 के स्तर हेतु एक पुस्तक, कक्षा 3 से 4 के स्तर हेतु एक पुस्तक व कक्षा 3 से 5 तक के स्तर हेतु एक पुस्तक, इस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर कुल चार पुस्तकों का निर्माण किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 6 तक एक पुस्तक एवं कक्षा 3 से 7 तक एक पुस्तक का निर्माण किया गया है इस प्रकार से कुल छः पुस्तकों का निर्माण किया गया है एवं इन पुस्तकों को संघनित पाठ्यपुस्तक नाम दिया है।

इन सभी पाठ्यपुस्तकों में अधिकांश पाठों का चयन वर्तमान में चल रही अंग्रेजी विषय की पाठ्यपुस्तकों एवं निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार किया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने व व्याकरण के कौशलों का विकास कर उन्हें स्तरानुकूल अधिगम कराया जा सके चूंकि ये विद्यार्थी बोली में भाषायी समझ व कौशलों से सम्पूर्ण होते हैं लेकिन अंग्रेजी की मानक शब्दावली उनके वर्ण एवं ध्वनियों के सटीक उच्चारण एवं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण, उनके अर्थ एवं लिखने एवं बोलने में सही वाक्यों के प्रयोग, से अनभिज्ञ होते हैं। इस हेतु प्रत्येक पुस्तक में पाठों की संख्या को सीमित रखते हुए अंग्रेजी भाषा के कौशलों के मौखिक एवं लिखित अभ्यास हेतु विभिन्न गतिविधियाँ समाहित की गई हैं जिनके सही पर्याप्त एवं समयबद्ध अभ्यास से विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं।

नवीन शब्दों के सही उच्चारण, उनके अंग्रेजी एवं हिन्दी अर्थों के साथ—साथ पर्याप्त अभ्यासमाला में (Activities) दी गई है। साथ ही व्याकरण के विभिन्न अंशों यथा—prepositions, articles, connectives, tenses, active voice, passive voice, personal pronouns, 'wh' questions, yes/ no' type questions एवं अन्य वाक्य संरचनाओं से संबंधित अध्यास हेतु सामग्री दी गई है। जिनके अभ्यास हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है।

अंग्रेजी भाषा के लिखित अभ्यास हेतु composition writing हेतु पाठों में वांछित स्थलों पर सरल गतिविधियाँ दी गई हैं जिन्हें विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। या आपकी सहायता से और अधिक सही ढंग से कर सकते हैं। अतः आपसे इस क्षेत्र में भी वांछित सहयोग की अपेक्षा है।

पुस्तकों के लेखन के दौरान विद्यार्थियों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को दृष्टिगत रखा गया है इसके लिये राज्य में प्रचलित मूल्यांकन के दस्तावेजों को संधारित किया जाना अपेक्षित है ताकि इस दौरान शिक्षक सीखने—सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को स्थिति, प्रगति एवं आवश्यकताओं का समुचित आकलन कर योजना तैयार करके कार्य कर सकें।

शिक्षक एवं अभिभावकों से यह अपेक्षा है कि वे विद्यार्थियों को सीखने—सिखाने की इस प्रक्रिया एवं भाषाई कौशलों के विकास तथा कक्षा के स्तरानुसार अधिगम कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे ताकि विद्यार्थी लिखित व मौखिक भाषाई उपयोग की दृष्टि से समृद्ध हो सके।

Contents

S.No.	Name of the Lesson	Page No.
1.	Smile with a Blessing	1 - 7
2.	Birds' Paradise	8 - 15
3.	A Visit to the Camel Fair of Pushkar	16 - 25
4.	A Railway Station	26 - 43
5.	The Star (Poem)	44 - 50
6.	The Rats and the Elephants	51 - 62
7.	Clean India : Our Role	63 - 74
8.	Homes	75 - 80
9.	A Unique Sacrifice	81 - 96
10.	The True Successor	97 - 108